अध्यापक शिक्षण की राज्यस्तरीय संस्था के कार्यों का वर्णन करें।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर की अनेक अभिकरण क्रियाशील रहे हैं, इन प्रमुख साधनों का विस्तृत विवेचन किया गया है- जो निम्न है —

(1) राज्य अध्यापक - शिक्षा बोर्ड (S.B.T.E)
State Board of Teacher - Education

कोठारी आयोग ने (1966) में राज्य अध्यापक-शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। इस कार्य के द्वारा राज्य स्तर के अध्यापक शिक्षा का समुचित करना है और ~~इन्हें राज्य~~ की शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रशासन राज्य द्वारा ही किया जाता है। इन Boards की स्थापना हुई और इन्हें राज्य की अध्यापक-शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी।

मध्य प्रदेश में (1967) गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणीपुर, तमिलनाडु में (1973) में इन Boards की स्थापना की गयी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सुझाव को मानकर शिक्षा मंत्रालय पर इन बोर्डों की स्थापना के लिए दबाव डाला। सभी राज्यों में इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना की जाए।

राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड (S.B.T.E.)

(1) प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर का निर्धारण करना। अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, प्रणाली में सुधार करना।

(2) प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता के हेतु मानदण्डों का निर्धारण करना तथा वार्षिक निरीक्षण करना।

(3) संस्थाओं को परामर्श की सुविधा की व्यवस्था करना।

(4) प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु मानदण्डों का निर्धारण करना एवं प्रशिक्षण के बाद उनकी शिक्षण-क्षमताओं की जाँच करना।

(5) अध्यापक-शिक्षा में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विकास हेतु योजनाएं तैयार करना है।

(6) विश्वविद्यालय तथा राज्य की शिक्षा संस्थाओं पाठ्यक्रम - पाठ्य-पुस्तकें तथा परीक्षा प्रणाली के सुधार हेतु परामर्श देना।

(7) अध्यापक-शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर के लिए की जाए तथा राज्य द्वारा प्रत्येक स्तर की संस्था को अनुदान की सुविधा होनी चाहिए।

(8) विश्वविद्यालय तथा राज्य की प्रशिक्षण संस्थाओं में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए।

इन बोर्डों का कार्य अध्यापक शिक्षा के सभी पक्षों-नीति, संगठन एवं प्रशासन में सुधार एवं विकास करना है। इन नये साधनों से शिक्षा व्यवस्थाओं की प्रशासनिक शक्ति का विकास हुआ। क्योंकि ये शिक्षकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं राज्य शिक्षकों को सुविधा प्रदान कर सुझाव एवं

देखाव भी देते है।

(2) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T) District Institution of Education and Training।

प्रत्येक राज्य मे संस्थान की स्थापना एक कार्य बल के रूप मे की है। जिसमे वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस संस्थान के मुख्य कार्य निम्नलिखित है —

(i) पूर्व-सेवा तथा सेवारत शिक्षको के प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशों, पर्यवेक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्यवस्था करना।

(iii) शिक्षा संस्थाओं के प्राचार्यों को नियोजन एवं प्रबंधन कार्यों का प्रशिक्षण देना तथा सूक्ष्म स्तर पर नियोजन कार्य करना।

(iv) समुदाय की नेताओं तथा अन्य सामाजिक सेवी संस्थाओं के प्रबंधकों को अभिविन्यास देना, जिससे विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सके।

Appointments

(v) जिला स्तर की शिक्षा तथा विद्यालयों की की [illegible] समस्याओं को शैक्षिक सहायता तथा सुझाव देना।

(vi) क्रियात्मक अनुसंधान प्रकल्पों का आयोजन करना तथा प्रयोगात्मक कार्यों को बढ़ावा देना।

(vii) यह संस्थान प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(viii) शिक्षकों तथा अनुदेशकों को अध्ययन केन्द्रों की सेवाओं की व्यवस्था करना।

(ix) यह संस्थान सलाहकार तथा परामर्श एजेन्सी के रूप में कार्य करती है।

(x) शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कार्यशाला, सेमीनार तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करती है।

यह संस्थान राज्य शिक्षा परिषद के अन्तर्गत ही अपना कार्य करती है और परिषद के विभिन्न विभागों से अनुदेशन सामग्री प्राप्त करके उनका उपयोग करती है। अध्यापकों को अपने शैक्षिक कार्यों को करने को बढ़ावा देती है।